संख्या–738/ III(3)/2009– 01/(सा0)/06

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–3

देहरादून: दिनांक 22 दिसम्बर, 2009

विषयः 12 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत कार्यो को निरस्त कर नये कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3730/22 बजट (बा0वि0आ0–मार्ग कार्य)/09–10, दिनांक 14.09.2009 के संदर्भ में शासनादेश संख्या– 13/ III(3)09– 01(सा0)06, दिनांक 02.03.2009 द्वारा स्वीकृत संलग्न तालिका के स्तम्भ–2 में अंकित 04 कार्यो, जिनकी लम्बाई व लागत कमशः संलग्नक के स्तम्भ– 3 व 4 में अंकित किया है, को निरस्त करते हुए स्तम्भ–5 में अंकित 09 कार्यो, लागत रू0 1094.11 लाख (रूपये दस करोड़ चौरानवे लाख ग्यारह हजार मात्र) के सापेक्ष टी0ए0सी0 के द्वारा परीक्षणोंपरान्त संस्तुत रू0 919.05 लाख (रूपये नौ करोड़ उन्नीस लाख पॉच हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि के व्यय की स्वीकृति शासनादेश संख्या– 623/ III(3)/09– 01(सा0)06टी.सी.II, दिनांक 06.11.2009 के द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के साथ प्रदान करते है :–

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों की जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी लोक निर्माण विभाग से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। क्योंकि उक्त कार्य बारहवें वित्त से सम्बन्धित है। सक्षम प्राधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि प्राविधिक स्वीकृति देते समय सारणी 10.7 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय। बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय क्योंकि इस स्वीकृति में धन एवं समय में बढ़ोतरी संभव नहीं होगी।

4– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

G.O 12th aayog-66

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

7– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

8– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जानी सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

9– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तब ही किया जायेगा जब भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर उस पर कब्जा प्राप्त हो जाय। यदि कब्जा नही प्राप्त होता है तो उसकी सूचना शासन को देकर समस्त धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

10– यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

11– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय।

12– अनुरक्षण का कार्य उत्तराखण्ड प्रौक्योरमेन्ट नियमावली, 2008 के प्राविधानों तथा इसके क्रम में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत ही कार्य कराया जायेगा।

13– अनुरक्षण कार्य दिनांक 31.01.2010 तक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिये जाय, ताकि भारत सरकार से धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु अनुरोध किया जा सकें।

14– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

15– स्वीकृत कार्यों पर व्यय 12 वें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा तथा मुख्य अभियन्ता स्तर–1 यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त स्वीकृत कार्य वित्त आयोग द्वारा अनुमोदित धनराशि के अन्तर्गत पूर्ण किये जायेंगे।

16– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्याः 865/XXVII/(2)/2009 दिनांक 21 दिसम्बर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्न :– यथोक्त।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

G.O. 12bit aayog-67

पृ.सं0 738(1)/ ।।।(3)09,तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौडी/नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. मुख्य अभियंता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, कुमायूं/गढवाल, अल्मोड़ा/पौडी।
10. सम्बन्धित अधीक्षण/अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
11. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
12. लोक निर्माण अनुभाग 1 व 2, उत्तराखण्ड शासन।
13. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव।

G.O. 12bill aayog-68

शासनादेश संख्या –738/ III(3)/2009– 01/(सा0)/06, दिनांक 22 दिसम्बर, 2009 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क0 सं0	निरस्त कार्य का नाम/खण्ड	स्वीकृत लम्बाई	स्वीकृत लागत	स्वीकृत कार्य का नाम/खण्ड	लम्बाई	अनुमानित लागत	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गयी धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1–	टिहरी डैम्प बैरियर से पीपलडाली मोटर मार्ग में बी0एम / एस0डी0 बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण का कार्य।	3.50	153.14	1–टिहरी डैम्प बैरियर से पीपलडाली मोटर मार्ग में बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण का कार्य।	2.00	87.52	87.03
2–	पीपलडाली से काण्डीखाल मोटर मार्ग में बी0एम / एस0डी0 बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण का कार्य।	5.40	211.51	2–भागीरथीपुरम से डैम्प बैरियर राज्य मार्ग संख्या–8 डबल लैन का बी0एम / एस0डी0 बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण का कार्य।	3.450	277.13	177.29
3–	जिला देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–72 के प्रेमनगर–माजरा–भुड्डी –शेखूवाला –धर्मावाला मार्ग के किमी0 4 तक दो लेन मार्ग का निर्माण 1 आर.सी.सी. सेतु सहित	3.350 +1 सेतु	653.86	3– मोहनपुर पावर हाऊस से बडोवाला मोटर मार्ग का बी0एम / एस0डी0 बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण एवं नाली निर्माण का कार्य।	12.15	653.86	596.23
				4– श्यामपुर बैक कालोनी मार्ग का बी0एम / एस0डी0 बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण एवं नाली निर्माण का कार्य।			
				5– मोहनपुर–स्मिथनगर मार्ग का बी0एम / एस0डी0 बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण एवं नाली निर्माण का कार्य।			
				6– गोरखपुर चौक से एम0बी0एस0डी0 मार्ग का बी0एम / एस0डी0 बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण एवं नाली निर्माण का कार्य।			
				7– स्मिथनगर से ठाकुरपुर मार्ग का बी0एम / एस0डी0 बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण एवं नाली निर्माण का कार्य।			
				8– न्यू कैन्ट मार्ग का बी0एम / एस0डी0 बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण एवं नाली निर्माण का कार्य।			
4	जनपद नैनीताल के अन्तर्गत पंचायतघर आनन्दपुर चौकी मोटर मार्ग का बी0एम / एस0डी0 बी0सी0 द्वारा सुधारीकरण एवं नाली निर्माण का कार्य।	2.65	75.60	9– महर्षि विद्या मन्दिर से आनन्दपुर चौकी सम्पर्क मार्ग एवं बिरला पुल से प्रेमपुर लोस्यानी सम्पर्क मार्ग का अवशेष भाग का बी0एम / एस0डी0 बी0सी0 से सुधार कार्य।	3.20	75.60	58.50
	योग–	14.90	1094.11		20.80	1094.11	919.05

(रूपये नौ करोड़ उन्नीस लाख पाँच हजार मात्र)

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

G.O.12bit anyog-7ti